

फर्द अहकाम

नोरतमल किसान

बनाम

कन्हैयालाल वगै०


अलय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० 12/2025

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|--|-------------|
| 24.01.2025 | <p>अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.02.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> | |
| 14/2/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अख्य का स्थानान्तरण होकर सज्जमान में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/4/25 को पेश हो।</p> | |
| 16.4.25 | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उप०। पूर्वारंभ की पालना हेतु अंतिम आवसर दिनांक पाकर पत्रावली दिनांक 4/6/25 को पेश की।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> | |
| 4.6.25 | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उप०। पूर्वारंभ की पालना के पत्रावली दिनांक 6/8/25 को पेश की।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> | |
| 6-8-25 | <p>पत्रावली पेश हुई। वारी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वारी को आज न्यायालय में प्रथम पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। आवजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वारी को न्यायालय में छगिर नहीं आये।</p> | |

न्यायालय का नाम : उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

दिनांक : / 202

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|---|
| | | <p>के आदेश पर प्रावली अन्तर्गत धारा-9 नियम-3 जा. प्र. के तहत अदम्य दायरी व अदम्य मेन्वी में खरिद की जाती। प्रावली कैंसल अमुमर शेकर नंबर से एक टीकर याखिल यफतर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोधपुर जिला </p> |